संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक/ 1381 /स्था./नग्रानि/2019 भोपाल, दिनांक 8-3-19

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7–01 /2016 /18–5, भोपाल दिनांक 19.09.2018 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा समूह–4 के अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2016 के तारतम्य में उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची के आधार पर चयनित अभियार्थी **श्री दुर्गेश सिंह राजपूत आत्मज श्री सोमराज सिंह राजपूत (सामान्य)** को आगामी आदेश तक **सहायक ग्रेड–3** के पद पर वेतनमान level 4 pay matrix 19500-62000 पर मूल वेतन 19500/– पर शासन के नियमानुसार स्वीकृत देय भत्तों पर, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तो के आधार पर नियुक्त किया जाकर **सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल** में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :–

1. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–सी–3–15/2012/1/3 दिनांक 24नवम्बर, 2012 के अनुसार, ''यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किये जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी''।
2. नियुक्त कर्मचारी को अच्छे चरित्र एवं उसके विरूद्ध ऐसा कोई अपराधिक प्रकरण जो उसे शासकीय सेवा के योग्य होने से बाधित करता हो, लंबित न होने के संबंध में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरूद्ध जानकारी मिलने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात बिना कोई कारण बताये तत्काल नियुक्ति समाप्त कर देंगे। (संलग्न शपथ–पत्र का प्रारूप)
3. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजे जा सकेंगे।
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी परीक्षा में सम्मिलित नही हो सकेंगे।
5. सेवा अवधि के दौरान उभय पक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों के कारण सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा। यदि वे ऐसा न करे तो ऐसी राशि भू–राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी।
6. नव नियुक्त कर्मचारी, म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 13.4.2005 द्वारा मध्य प्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू ''परिभाषित अंशदान पेंशन योजना'' के सदस्य होंगे एवं इन पर म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 लागू नहीं होंगे।
7. अभ्यार्थी को आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की समय सीमा में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पदस्थापना स्थान पर उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के निरस्त कर दी जायेगी।
8. अभ्यार्थी को पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
9. अभ्यार्थियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति आदेश के क्रमानुसार निर्धारित होगा।

:\new niukti-2018 badruddin.docx

10. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति, विकलांगता संबंधी प्रमाण अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर तत्काल ही बिना पूर्व सूचना के सेवाऐं समाप्त की जायेगी, तथा किये गये भुगतान की वसूली की जायेगी।
11. संबंधित जिला कार्यालय, अभ्यार्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच से संतुष्ट होने पर ही अभ्यार्थी को कार्यग्रहण करावेंगे।
12. अभ्यार्थी, कार्यग्रहण करने के पश्चात् संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी को शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थी के जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को भेजा जायेगा। यदि जाति प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
14. यह प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र.लोक सेवा (अनु.जातियों, अनु.जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया है।
15. अभ्यार्थी का परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी स्थिति में स्थानानंतरण नहीं किया जावेगा एवं अन्य कोई स्थान पर नियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

संचालक 8/3/19
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक/ 1382/स्था./नग्रानि/2019 भोपाल, दिनांक 8-3-19
प्रतिलिपि :—

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय बैतूल।
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल।
4. **श्री दुर्गेश सिंह राजपूत, पिता श्री सोमराज सिंह राजपूत पता— एकता चौक, जय भोले हवन सामग्री के पास, होशंगाबाद पिन—461001 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।**
5. व्यक्तिगत नस्ती।
6. रोस्टर लिपिक।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

:\new niukti-2018 badruddin.docx